

प्रोमान जी, प्रार्थी के ग्राम दधीपड़ा, पटवारी रिपोर्ट में चांद पुत्र मंशा जाति रावत दर्ज है कि गलत नाम विरासत नामा सं. 357 से आया है। प्रार्थी के भाधार का व दस्तावेजों में नाम चांदमल पुत्र मंशा जाति रावत है। भर: संलग्न दस्तावेजों के भाधार पर विरासत में गलत नाम चांद पुत्र मंशा की जगह चांदमल पुत्र मंशा की नाम शुद्ध किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
 मुताबिक चांदमल पुत्र मंशा जाति रावत नाम का नाम गलत है। प्रार्थी रावत व दस्तावेज अनुसंधान अंशका नाम चांदमल पुत्र मंशा जाति रावत है।
 9-10-25

तहसीलदार की रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी फील 288/2011/वेर
 प्रभारी प्रभारी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 652
 क्रमांक/365

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 10/01/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दधीपड़ा, तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2025 के खाता संख्या 204 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	चांदमल पुत्र मंशा जाति रावत	कित 3	0.55	चांदमल पुत्र मंशा जाति रावत	कित 3	0.55
		201, 204, 203, 202 व 52			201, 204 203, 202 व 52	

इसका सं. 5551-52
 प्रभारी, तहसीलदार नसीराबाद
 2. आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर